

कार्यालय संयुक्त संचालक एवं अधीक्षक
शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय संबद्ध चिकित्सालय अम्बिकापुर
एल.पी. निविदा प्रपत्र एवं शर्तें

निविदा कार्य का नाम	वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिये शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय संबद्ध चिकित्सालय अम्बिकापुर(छ.ग.) में उपचार हेतु आने वाले मरीजों एवं पेंशनरों के लिये लोकल परचेस (एल.पी.)की औषधियों एवं चिकित्सा सामग्रियों की तत्काल आपूर्ति किये जाने हेतु।
निविदा प्रपत्र का मूल्य	रु.1000.00(एक हजार रुपये) मात्र का Demand Draft जो वापसी योग्य नहीं।
निविदा धरोहर राशि	50000.00 (पचास हजार रुपये) मात्र। (FDR)
निविदा फार्म जमा करने की अन्तिम तिथि एवं समय	दिनांक 04.12.20220 को समय दोपहर 3.00 बजे। शासकीय पंजीकृत डाक एवं स्पीड पोस्ट के माध्यम से।
निविदा खोलने की तिथि एवं स्थान	दिनांक 04.12.20220 को समय दोपहर 4.00 बजे। संयुक्त संचालक एवं चिकित्सा अधीक्षक, शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय संबद्ध चिकित्सालय अम्बिकापुर में कार्यालयीन दिवस तथा अवधि में।

निविदा विज्ञापन एवं शर्तों का अच्छी तरह से अध्ययन करके ही निविदा प्रपत्र की पूर्ति करें।

शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय संबद्ध चिकित्सालय अम्बिकापुर छ.ग. में उपचार हेतु आने वाले मरीजों के लिये औषधि भण्डार में अनुपलब्ध जीवनरक्षक आवश्यक औषधियों के क्रय किये जाने हेतु शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय संबद्ध चिकित्सालय अम्बिकापुर के समीप अथवा 04 कि.मी. के भीतर स्थानीय अधिकृत दवा विक्रेताओं से तत्काल पूर्ति हेतु वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिये ओ.पी.डी./विभागों/वार्डों की मांग के अनुसार तथा पेंशनरों को तत्काल प्रदाय करने के लिये लोकल परचेस (एल.पी.) बावत सीलबंद निविदा रजिस्टर्ड पोस्ट/स्पीड पोस्ट से उपरोक्तानुसार आमंत्रित किया जाता है।

1. निधारित तिथि व समय के उपरान्त निविदा प्रपत्र विक्रय नहीं किये जायेंगे एवं न ही स्वीकार किये जायेंगे।
2. प्राप्त निविदायें कार्यालय संयुक्त संचालक एवं चिकित्सा अधीक्षक शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय संबद्ध चिकित्सालय अम्बिकापुर के कक्ष में खोली जावेगी। निविदा खोलते समय निविदादाता स्वयं या उनका एक प्रतिनिधि टेक्निकल बिड लिफाफे में संलग्न किये गये दस्तावेजों का मूल प्रति के साथ उपस्थित रह सकता है। इस हेतु उन्हें कोई भी सूचना अलग से नहीं दी जायेगी न ही किसी भी प्रकार का भत्ता देय होगा।
3. निविदादाता को दो लिफाफे पृथक-पृथक सीलबन्द कर एक सीलबन्द लिफाफे में प्रस्तुत करने होंगे। प्रथम लिफाफे के उपर पेंशनरों एवं लोकल परचेस निविदा (Technical Bid) अंकित कर लिफाफे के अन्दर निविदा प्रारूप क्र. 01 में निविदा शर्त के अनुसार समस्त आवश्यक स्व सत्यापित दस्तावेज से सत्यापित तथा दूसरे लिफाफे में प्रारूप क्र. 02 के अनुसार निविदाकार (Price Bid) MRP में कितने प्रतिशत की छूट देंगे का उल्लेख करना होगा तथा दोनों को अलग-अलग सीलबन्द कर एक बड़े लिफाफे में सीलबन्द कर एक और निविदादाता का नाम पता लिखकर कार्यालय संयुक्त संचालक एवं अधीक्षक शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय संबद्ध चिकित्सालय अम्बिकापुर (छ.ग.) के नाम से प्रेषित किया जाना है। स्टेपल किये गये निविदा लिफाफा स्वीकार नहीं किया जायेगा एवं सीलबन्द लिफाफा नहीं होने की दशा में निविदा लिफाफा अमान्य कर दिया जायेगा।
4. निविदादाता को लिफाफा क्रमांक 01 में निम्न दस्तावेज निविदा प्रारूप शर्त सहित आवश्यक रूप से संलग्न करने होंगे:-
 - i. निविदाकर्ता का नाम एवं सम्पूर्णपता टेलीफोन; मोबाईल; फैक्स नम्बर एवं ईमेल-आईडी, एड्रेस प्रुफ सहित।



रुपये 50000.00 (पच्चास हजार) मात्र की निविदा धरोहर राशि का किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक का एफ.डी.आर संयुक्त संचालक एवं अधीक्षक शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय संबद्ध चिकित्सालय अम्बिकापुर (Joint director Cum Hospital Superintendent, Govt. Medical college Hospital Ambikapur C.G.) के नाम से प्रेषित किया जाना है।

- iii. फार्मासिस्ट जीवित पंजीयन सर्टिफिकेट की छायाप्रति स्व सत्यापित कराकर जमा करना होगा।
- iv. ड्रग कन्ट्रोलर का अधिकृत रजिस्ट्रेशन जीवित प्रमाण पत्र की स्व सत्यापित छायाप्रति।
- v. जी.एस.टी. चुकता प्रमाण पत्र (GST Clearance Certificate) अन्तिम तिमाही।
- vi. पेनकार्ड नम्बर की छायाप्रति स्व सत्यापित कराकर।

निविदादाता को रुपये 50/- के स्टाम्प पेपर में संलग्न प्रारूप क्रमांक 01 में दिये गये घोषणा पत्र प्रस्तुत करना होगा।

5. कार्यालय द्वारा जारी निर्धारित निविदा प्रपत्र को ऑनलाइन माध्यम से डाउनलोड कर निविदादाता को लिफाफा क्रमांक 02 में एम.आर.पी. में कितने प्रतिशत की छुट देंगे टाईप कराकर अपने फर्म के सील व हस्ताक्षर सहित संलग्न करना होगा। हाथ से लिखी गई एवं काट छांट की दरें मान्य नहीं की जायेगी।
6. निविदादाता द्वारा प्रस्तुत कोई भी दस्तावेज गलत या फर्जी पाये जाने पर उसकी निविदा निरस्त कर उसकी धरोहर राशि राजसात कर ली जायेगी एवं उस संस्था का नाम काली सूची में डाल दिया जायेगा।
7. प्रदायकर्ता को मांग की गई एक दवाई पर्ची में दवाईयों (जेनेरिक, ब्राण्डेड) का एक ही देयक प्रस्तुत करना होगा। देयक का छायाप्रति मान्य नहीं किया जायेगा।
8. औषधियाँ प्रदायगी के साथ ही संबंधित फर्म के द्वारा देयक 03 प्रति में प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। देयक जमा करने में विलंब होने पर भूगतान भी विलंब से होगी जिसकी समस्त जिम्मेदारी संबंधित सप्लायर/फर्म की होगी।
9. निविदादाता को जेनेरिक दवाईयों ही प्रदाय करना होगा यदि कोई औषधि जेनेरिक नेम नहीं आती है तो, निविदादाता को ब्राण्डेड औषधि देना होगा तथा सत्यापित करना होगा कि ये औषधि जेनेरिक नेम की नहीं आती है। विशेष परिस्थितियों में जीवनरक्षक औषधियों पर यह शर्त लागू नहीं होगा।
10. लिखी गई अथवा मांग की गई औषधियाँ को मांगपत्र के अनुसार भण्डार शाखा में या संबंधित, वार्ड/अनुभागों/मरीजों/पेन्शनरों को पूर्ण मात्रा में तत्काल प्रदाय करना होगा।
11. निविदादाता को औषधि में जेनेरिक, ब्राण्डेड अलग-अलग का खुदरा प्रिन्ट दरों पर छूट (प्रतिशत में) का स्पष्ट उल्लेख करना अनिवार्य है।
12. चिकित्सालय में भर्ती मरीजों के लिये दवाईयों आवश्यक होने पर कभी भी (रात्रिकालिन अवधि में भी) मंगाई जा सकती है, जिसे प्रदाय करना आवश्यक होगा।
13. निविदा के अन्तर्गत, स्वीकृत निविदादाता को आवश्यक औषधियों की आपूर्ति, वित्तीय वर्ष 2020-21 तथा आगामी निविदा (वित्तीय वर्ष 2021-22 का निविदा पूर्ण होने) जारी होने तक/अन्य व्यवस्था होने तक करना अनिवार्य होगा। अन्यथा आपके द्वारा जमा की गई धरोहर राशि राजसात कर ली जायेगी एवं नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।
14. समस्त औषधि जो कि मांगपत्र के आधार पर प्रदाय की जायेगी उनकी वैधता तिथि (अवसान तिथि) प्रदायगी के वक्त 80 प्रतिशत से अधिक होना चाहिए अन्यथा उन्हें स्वीकार न करने का अधिकार अद्योहस्ताक्षरकर्ता के पास सुरक्षित रहेगा। यदि दवाईयों अमानक स्तर की होगी तो उनके परीक्षण का व्यय तथा हर्जाना निविदाकार से वसूल किया जायेगा।
15.
 - i. प्रदायकर्ता को हर समय (24x7) कम से कम एक व्यक्ति को शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय संबद्ध चिकित्सालय अम्बिकापुर के औषधि भण्डार प्रभारी के सम्पर्क में रहना होगा जो विभिन्न वार्डों/ओ.पी.डी. के आधार पर मांगपत्र यथाशीघ्र प्राप्त कर 06 घण्टे के अन्दर औषधि प्रदाय करना सुनिश्चित करें।



- ii. जीवन रक्षक औषधि के मांगपत्र प्राप्ति के 02 घण्टे के भीतर औषधि भण्डार/वार्ड में प्रदाय करना सुनिश्चित करें।
 - iii. प्रदायकर्ता को मांग की समस्त औषधि अपने व्यय पर औषधि भण्डार/वार्ड में प्रदाय करना होगा जिसका किसी भी प्रकार का व्यय तथा ट्रान्सपोर्टिंग; हैंडलिंग चार्ज देय नहीं होगा।
16. ऐसे निविदाकार जिसकी निविदा स्वीकृत होगी तथा मांगपत्र के आधार पर वांछित सामग्री प्रदाय न कर पाने की स्थिति में एल-02 प्रदायकर्ता से औषधियाँ ले ली जायेगी तथा दरों में अन्तर की राशि को स्वीकृत एल-01 निविदाकार की अमानत राशि से काट दी जायेगी।
 17. चिकित्सा अधीक्षक शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय संबद्ध चिकित्सालय अम्बिकापुर के औषधियों की प्रदायगी की निरन्तरता को ध्यान में रखते हुये कय आदेश को एक से अधिक प्रदायकर्ता में विभक्त करने का अधिकार अपने पास सुरक्षित रखते हैं।
 18. औषधियों की अधिकतम किमत एम.आर.पी. को बदलने का अधिकार प्रदायकर्ता को नहीं है। यदि राज्य एवं केन्द्र सरकार के द्वारा यह दरें संशोधित की जाती हैं तो, शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय संबद्ध चिकित्सालय अम्बिकापुर को यह अधिकार होगा कि इन दरों को संशोधित कर सकेगा यह संशोधित दर किसी भी परिस्थिति में एम.आर.पी. से अधिक नहीं होगा।
 19. निविदाकार सप्लायर /निर्माता कम्पनी/अथवा औषधि (यथा सिप्रोसिन) इत्यादि जिसका नाम छ.ग. शासन एवं/अथवा केन्द्र शासन द्वारा रखा जा कर प्रतिबंधित है वह इस निविदा प्रक्रिया में भाग नहीं ले सकते हैं। ऐसी किसी भी निविदा बिड को तत्काल निरस्त कर दिया जायेगा।
 20. सभी विवादों के लिये अद्योहस्ताक्षरकर्ता का निर्णय अन्तिम होगा। यदि किसी प्रकार का कोई विवाद उत्पन्न होता है तो न्यायालय क्षेत्र अम्बिकापुर होगा।
 21. स्वीकृत एल-01 फर्म के द्वारा मांग के अनुसार प्रदाय की जा रही औषधियों की गुणवत्ता एवं प्रभावशीलता की जाँच का प्रतिवेदन शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय संबद्ध चिकित्सालय अम्बिकापुर के द्वारा मांग किये जाने पर प्रस्तुत करना होगा।
 22. मांगी गई सभी प्रमाण पत्र जो लिफाफा क्रमांक 01 में संलग्न करना है वो सभी प्रमाण पत्र मेडिकल स्टोर के प्रोपाइटर के नाम से अथवा फर्म के नाम से ही होना चाहिए।
 23. कय समिति आपके द्वारा छायाप्रति के रूप में जमा किये गये दस्तावेजों को मिलान मूलप्रति से करने का अधिकार सुरक्षित रखती है।
 24. शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय संबद्ध चिकित्सालय अम्बिकापुर (छ.ग.) किसी भी निविदा प्रपत्र को बिना किसी कारण बताये किसी एक मद अथवा सम्पूर्ण निविदा को स्वीकारने अथवा निरस्त करने के अपने अधिकार को सुरक्षित रखता है।
 25. निविदादाता द्वारा प्रस्तुत की जाने वाली तकनीकी लिफाफा (Technical Bid) के समस्त दस्तावेजों में एवं प्राईसबिड (Price Bid) के प्रत्येक पृष्ठ पर हस्ताक्षर और नाम लिखना अनिवार्य है।
 26. भूगतान व्यवस्था (Payment Provisions)
 - i. संयुक्त संचालक एवं चिकित्सा अधीक्षक शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय संबद्ध चिकित्सालय अम्बिकापुर (छ.ग.) प्रदाय आदेश के विरुद्ध भूगतान हेतु सक्षम अधिकारी होंगे।
 - ii. प्रदाय आदेश के विरुद्ध कोई अग्रिम राशि का भूगतान नहीं किया जायेगा।
 - iii. भूगतान माल का देयक की प्राप्ति तथा प्राप्तकर्ता के प्रपत्रों के आधार पर ही किया जायेगा।
 - iv. अधूरे प्रदायगी में भूगतान नहीं किया जायेगा एवं छत्तीसगढ़ शासन द्वारा प्रदाय बजट की उपलब्धता के अनुसार भूगतान किया जायेगा। यदि इस प्रक्रिया में विलम्ब होता है तो कार्यालय इसके लिये जिम्मेदार नहीं होगा और न ही कोई ब्याज देय होगा।











- v. - अग्रिम राशि अथवा प्रतिभूति राशि के विरुद्ध किसी किस्म का ब्याज देय नहीं होगा।
- vi. प्रत्येक प्रदायगी मद के विरुद्ध परीक्षण शुल्क काटकर भूगतान किया जावेगा।
- vii. यदि प्रदायगी टूटफूट अथवा हानि के स्थिति में प्राप्त होती है तो उसे अस्वीकार किया जावेगा।

27. गुणवत्ता नियन्त्रण कटौती :-(Quality Control Deduction)

- i. पूर्व में दिय गये निर्देशों पैकिंग अथवा विशिष्ट निर्देश का पालन नहीं करने पर अथवा निविदा की शर्तों का उल्लंघन करने पर जुर्माना किया सकेगा।
- ii. अमानक स्तर की सामग्रियों को 20 दिन के भीतर बदलकर देना होगा यदि प्रदायकर्ता ऐसा नहीं करता है तो उस काली सूची में रखा जायेगा और 03 वर्ष के लिए चिकित्सालय की निविदा प्रक्रिया में भाग लेने से प्रतिबंधित कर दिया जायेगा।

28. विशेष शर्तें :-

- i. सभी प्रदायगी मूलप्रदाय पत्र व 3 प्रति इनवाइस के साथ होना चाहिए छायाप्रति स्वीकार नहीं होगी।
- ii. अधिक तापमान से खराब होने वाली दवाइयों शीत श्रृंखला में प्रदाय की जानी चाहिए।
- iii. प्रदायगी से संदर्भित सभी पत्र व्यवहार मुद्रित अथवा सुस्पष्ट हस्तलिपि में होना चाहिए।

29. निविदा नियमित तिथि एवं समय के पूर्व शासकीय पंजीकृत डाक/स्पीड पोस्ट से अद्योहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय में पहुंच जाना चाहिए। निविदा उसी कार्य दिवस में निविदाकार अथवा उनके प्राधिकृत प्रतिनिधियों की उपस्थिति में निर्धारित अवधि में खोली जायेगी। शासकीय अवकाश की स्थिति में दूसरे कार्य दिवस में निविदा खोली जायेगी।

30. स्वीकार निविदा को रुपये 50.00 के न्यायायिक मुद्रांक पर इकरारनामा नोटरी से अभिप्रमाणित कर प्रस्तुत करना होगा कि :-

- i. मैं निविदा शर्त में निहित कंडिका क्रमांक 01 से 36 तक के सभी शर्तों का अक्षरशः पालन करूंगा।
- ii. मेरे द्वारा प्रदाय की गई दवाइयों एवं चिकित्सा सामग्री की गुणवत्ता का परीक्षण करायजाने की स्थिति में व्यय की राशि का भुगतान मेरे द्वारा किया जायेगा तथा निम्न स्तर की पायी गयी तो अमानत राशि राजसात कर नियमानुसार कार्यवाही हेतु सहमत हूँ।
- iii. मेरे द्वारा निविदा शर्तों का पालन नहीं करने पर संस्थान द्वारा मेरे उपर नियमानुसार जो भी कार्यवाही की जाती है उसके लिये मैं सहमत रहूंगा/सहयोग करूंगा और कोई भी आपत्ति नहीं करूंगा। निविदा शर्तों का पालन नहीं करने पर संस्थान द्वारा नियमानुसार कार्यवाही हेतु सहमत हूँ।
- iv. निविदा में दरें स्वीकृत होने पर निविदा की सम्पूर्ण अवधि तक मैं उन्हीं दरों पर सामग्री प्रदाय करूंगा।
- v. निर्धारित समयावधि में सामग्री पूर्ति।

31. कय समिति निविदा शर्तों में आवश्यातानुसार एवं संस्थान हित में संशोधन/शिथिलीकरण कर सकेगी।

32. एल 1 दर का निर्धारण निविद प्रतिभागी द्वारा दिये जाने वाले ब्रांडेड औषधि के दर पर छुट का प्रतिशत एवं जेनेरिक औषधि के दर में छुट का प्रतिशत के औसत के आधार पर किया जाएगा। $\left[\frac{\text{ब्रांडेड \%} + \text{जेनेरिक \%}}{2} = \% \right]$

33. निविदा प्रतिभागी का दर एल 1 होने पर ब्रांडेड में दिये गाय छुट का प्रतिशत एवं जेनेरिक में दिये गए छुट का प्रतिशत के आधार पर आदेशित किया जाएगा एवं निविदा प्रतिभागी द्वारा उसी प्रकार देयक प्रस्तुत किया जाएगा।


 संयुक्त संचालक एवं अधीक्षक
 शास.चि.महा.वि.संबद्ध चिकित्सालय
 अम्बिकापुर, जिला-सरगुजा (छ.ग.)











घोषणा पत्र

प्रारूप क्रमांक-01

मैं/हम भारत का नागरिक हूँ/हैं।

मैं/हम भारतीय संविदा अधिनियम के अनुसार संविदा करने के लिए सक्षम हूँ/हैं।

मैं/हम वस्तुओं के असमाधानप्रद प्रदाय करने के कारण छत्तीसगढ़ शासन के किसी भी विभाग द्वारा बहिष्कृत नहीं किया गया हूँ/हैं।

मैं/हम किसी भी ऐसे निविदाकार के जो कि छत्तीसगढ़ शासन/केन्द्रीय शासन के किसी भी विभाग द्वारा बहिष्कृत किया गया हो; न तो उसका अधिकर्ता हूँ/हैं और न ही उसके लिये कार्य करता हूँ/करते हैं।

निविदा शर्तों -नियम का मेरे /हमारे द्वारा नियमतः पालन किया जायेगा एवं रुपये 150/- का स्टाम्प पेपर पर करारनाम किया जायेगा।

स्थान.....

दिनांक.....

निविदादाता/आवेदनकर्ता के हस्ताक्षर

निविदादाता का नाम.....

फर्म का नाम:-.....

पूर्ण स्थायी पत्ता:-.....

मो. नम्बर/टेलीफोन नं. :-.....





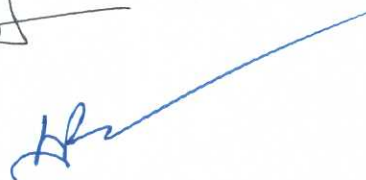






INDEX OF DOCUMENTS

S.No.	Document	Page No.
01	Firm Detail	
02	Pharmacist Registration Certificate	
03	Drug Licence	
04	GST Clearance Certificate	
05	GST Certificate	
06	PAN Card	
07	Affadevite(Sapath Patra)	
08	FDR	



लिफाफा क्रमांक -01 में समस्त शर्तों संबंधी दस्तावेज प्रस्तुत करने हेतु प्रारूप
प्रारूप क्रमांक -02

प्रति,

संयुक्त संचालक एवं अधीक्षक
शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय संबद्ध चिकित्सालय
अम्बिकापुर, जिला- सरगुजा(छ.ग.)

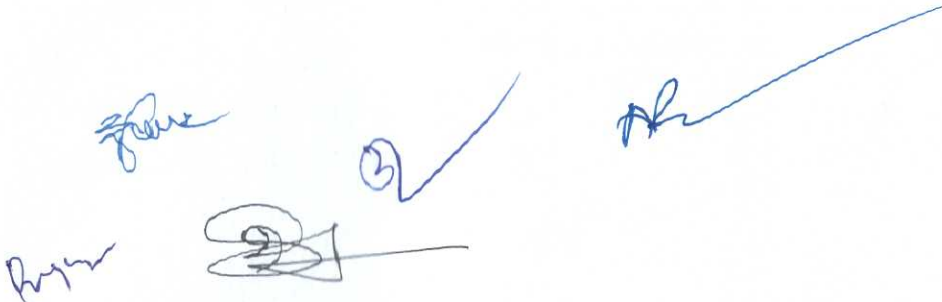
महोदय,

समाचार पत्र का नाम.....में दिनांक.....को प्रकाशित निविदा सूचना के संदर्भ में मैं/हम वांछित निविदा प्रारूप में मेरी/हमारी निविदा बावत शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय संबद्ध चिकित्सालय अम्बिकापुर में उपचार हेतु आने वाले मरीजों व पेंशनरों के लिए औषधि भण्डार में अनुपलब्ध औषधियाँ एवं चिकित्सा सामग्री पेन्शनरों एवं लोकल पर्चेस (LP) दवाईयों के पूर्ति के लिये वर्णित निर्वन्धनों पर और कार्यालय से अभिप्राप्त निविदा की समस्त शर्तों पर आवश्यक कागजात व धरोहर राशि प्रस्तुत करता हूँ/ करते हैं।

निविदा दाता को लिफाफा क्रमांक-01 में निम्न दस्तावेज अनिवार्य रूप से संलग्न करना होगा:-

- रुपये 50,000.00(रुपये पच्चास हजार) मात्र का धरोहर राशि का किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक का एफ.डी.आर. संयुक्त संचालक एवं अधीक्षक, शास.चिकि.महावि.संबद्ध चिकित्सालय अम्बिकापुर छ.ग. (Joint Director cum Suprintendent, Govt. Medical College Hospital Ambikapur) के नाम (No-----Dt-----Bank Name-----)
- निविदाकर्ता का नाम एवं संपूर्ण पता टेलीफोन, मोबाइल, फ़ैक्स नंबर एवं ईमेल-आईडी एड्रेस पुरुष सहित।
- फार्मासिस्ट, जीवित सर्टिफिकेट की स्व सत्यापित छायाप्रति।
- ड्रग कंट्रोलर का अधिकृत रजिस्ट्रेशन जीवित प्रमाण की स्व सत्यापित छायाप्रति।
- चुक्ता बिक्री प्रमाण पत्र अंतिम वर्ष।
- जी0एस0टी0 प्रमाण पत्र।
- पैन कार्ड नम्बर की स्व सत्यापित छायाप्रति।
- निविदादाता को रु0 50/- के स्टाम्प पेपर में प्रारूप क्रमांक 01 में दिये गये घोषणा पत्र प्रस्तुत करना होगा।

निविदादाता उपरोक्त दर्शाये गये दस्तावेजों में से कणिका क्रमांक-1 को छोड़कर समस्त दस्तावेजों को किसी राजपत्रित अधिकारी से सत्यापित कराकर प्रस्तुत करने होंगे तथा किसी भी एक दस्तावेज में कमी पायी जाने पर या अपूर्ण होने पर निविदा अमान्य कर दी जाएगी।



लिफाफा क्रमांक-02 में दरें प्रस्तुत करने हेतु प्रारूप

प्रारूप क्रमांक-03

प्रति,

संयुक्त संचालक एवं अधीक्षक
शा.चि.म.वि.सम्बद्ध चिकित्सालय
अम्बिकापुर, सरगुजा (छ.ग.)

महोदय,

समाचार पत्र का नाम..... में दिनांक को प्रकाशित निविदा सूचना के संदर्भ में मैं/हम वांछित निविदा प्रारूप में मेरी/हमारी निविदा बाबत शा.चि.म.सम्बद्ध चिकित्सालय अम्बिकापुर चिकित्सालय में उपचार हेतु आने वाले मरीजों व पेंशनरों के लिए औषधि भण्डार में अनुपलब्ध औषधियों एवं चिकित्सा सामग्री पेंशनरों एवं लोकल परचेस (L.P.) की दवाईयों की पूर्ति हेतु वर्ष 2018-19 में प्रदाय करने हेतु निविदा में वर्णित निर्वन्धनों और कार्यालय से अभिप्राप्त निविदा की समस्त शर्तों अनुसार एम.आर.पी. में दी गई छूट प्रस्तुत करता हूँ/करते हैं।

क्र.	फर्म का नाम	वर्ग	छूट (प्रतिशत में)	ब्रांडेड में छूट % + जेनेरिक में छूट % = 2	कुल औसत छूट प्रतिशत
1		ब्रांडेड दवाईयों में एम.आर.पी. से कितने प्रतिशत की छूट।	 %		
2		जेनेरिक दवाईयों में एम.आर.पी. से कितने प्रतिशत की छूट।	 %		

नोट:-निविदा प्रपत्र के साथ संलग्न फार्मेट में ही दरें प्रस्तुत की जाएं जो कि टाईप हो एवं उसमें किसी भी तरह की कांट छांट न हो इस प्रारूप के साथ संलग्न की जाए।

दिनांक:.....

निविदादाता/आवेदनकर्ता के हस्ताक्षर

निविदादाता का नाम:.....

पूर्ण स्थायी पता:.....

मोबाईल/टेलीफोन नं.:.....



